न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं
अति0 कलक्टर (न्याय), एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
जिला, जयपुर

सम्पदा प्रकरण सख्या : 01/2018(आरसीएमएस संख्या : 2018/00008)

राजस्थान सरकार जरिये संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर (राजस्थान)।

प्रार्थी,

बनाम्

महेन्द्र कुमार कौशिक, कार्यालय अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, आवास संख्या–4/145 (पुराना नम्बर–एफ–926, गांधी नगर, जयपुर) (राजस्थान)।

अप्रार्थी,

(परिवाद अन्तर्गत राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 बाबत् राजकीय आवास संख्या–4/145(पुराना नम्बर–एफ–926), गांधीनगर, जयपुर का कब्जा दिलाने।)

उपस्थितः–

1. लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 29.11.2019

प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड तृतीय मुख्यालय जयपुर द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि आवास संख्या एफ–926(फ्लेट), गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय सम्पति है, जिसे अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार कौशिक, कार्यालय अधीक्षक को राजकीय आवास आंवटन नियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक प0 20(1)सा.प्र./2/06 जयपुर दिनांक 28.08.2006 द्वारा आवन्टित किया गया हैं। किराये पर आवंटी श्री महेन्द्र कुमार कौशिक दिनांक 31.01.2017 को राज्य सेवा से सेवा–निवृत्त हो चुके हैं। अप्रार्थी किराये पर आवन्टी ने सेवानिवृति दिनांक के दो माह पश्चात भी आवन्टित आवास को रिक्त कर कब्जा नही सम्भलाया है, जबकि आवास रिक्त किये जाने हेतु समुचित रुप से अप्रार्थी को ताकीद की गई है, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी से राजकीय आवास सं0 4/145 (पुराना नम्बर एफ–926 फ्लेट), गांधीनगर, जयपुर

को रिक्त कराया जाकर वास्तविक कब्जा दिलाया जावे एवं नियमानुसार किराया/हर्जा राशि वसूल कराई जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं इसके सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन पर प्रथम–दृष्ट्या यह समाधान होने पर कि प्रकरण अधीन आवास राजकीय है और इसमें आवंटी अप्रार्थी द्वारा अप्राधिकृत रुप से अधिवास किया जा रहा हैं। अधिनियम, 1964 की धारा 4(1) के सपठित राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) नियम,1966 में निर्धारित प्ररुप ''क'' में अप्रार्थी के निमित नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी हाजिर आये और दिनांक 27.06.2018 को जवाब पेश किया। जो शामिल मिसल है।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रकरण अधीन आवास राजकीय आवास संख्या 4/145 (पुराना नम्बर एफ–926 फ्लेट) है, जो गांधीनगर में स्थित है। जिसे अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार कौशिक, कार्यालय अधीक्षक को राजकीय आवास आंवटन नियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक प0 20(1)सा.प्र./2/06 जयपुर दिनांक 28.08.2006 द्वारा आवन्टित किया गया हैं। किराये पर आवंटी श्री महेन्द्र कुमार कौशिक दिनांक 31.01.2017 को राज्य सेवा से सेवा–निवृत्त हो चुके हैं। अप्रार्थी किराये पर आवन्टी ने सेवानिवृति दिनांक के दो माह पश्चात भी आवन्टित आवास को रिक्त कर कब्जा नही सम्भलाया है, अतः अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास संख्या 4/145 (पुराना नम्बर एफ–926 फ्लेट), गांधीनगर, जयपुर में अप्राधिकृत रुप से अधिवास किया जा रहा है। अप्राधिकृत रुप से अधिवासित श्री महेन्द्र कुमार कौशिक को राज्य सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति नियमित वेतन भत्तों पर नहीं की गई है बल्कि समेकित पारिश्रमिक पर रखा गया था जिसमें नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी को देय सेवा शर्तों के अनुसार वेतन भत्ते व सुविधा दिये जाने का प्रावधान नहीं है बल्कि केवल मात्र एक निश्चित पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है और इन्हीं प्रावधानों के अन्तर्गत समेकित पारिश्रमिक के आधार पर सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति दी गई है। आवास आवंटन नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी के सेवानिवृति के 2 माह पश्चात आवास को रिक्त करना होगा। अप्रार्थी को इस सम्बन्ध में जरिये नोटिस सूचित किया गया है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा आवास को अधिभोग कर अनाधिकृत रूप से काबिज है और उनके द्वारा सरकारी आवास को रिक्त नही किया गया है। अतः राजकीय आवास रिक्त कराया जाकर कब्जा सम्भलाया जावें किराये व हर्जा–खर्चा की पृथक से कार्यवाही की जावेगी।

अप्रार्थी ने कथन किया कि वादग्रस्त आवास राजकिय सम्पत्ति है और अप्रार्थी की पात्रता के आधार पर ही जरिये आदेश दिनांक 28.08.2006 अप्रार्थी को आवंटन किया गया है। अप्रार्थी की सेवानिवृति दिनांक 31.01.2017 को हुई है परन्तु महानिदेशक पुलिस के आदेश क्रमांक–व–15 ( )पुलिस–ए/गजे/ 2017/748–53 दिनांक 01.02.2017 द्वारा एवं अति0 महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक स्था./सैटअप/12/ 2016/6328–55 दिनांक 03.05.2018 द्वारा पुनर्नियुक्ति की गई है। नियमानुसार आवास के किराये की कटौती की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा सेवानिवृति पर कर्मचारियों को परिवार एवं सामान सहित सड़क अथवा रेल परिवहन द्वारा होम–टाउन जाने के लिए राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 में नियम 29 (1) (2–VIII) (4) में प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार कर्मचारी को सेवानिवृति तिथि से 12 माह की अवधि में परिवार सहित होम–टाउन की यात्रा एवं सामान परिवहन का भत्ता भुगतान दिया जावेगा। यह भी प्रावधान है कि सेवानिवृति तिथि के 6 माह में राज्य सरकार में पुनर्नियुक्ति होने पर पुनर्नियुक्ति तिथि समाप्त होने की तिथि के 6 माह के भीतर उक्त सुविधा का उपभोग करने पर यात्रा भत्ता दिया जावेगा। नियम 29 (4) अनुसार पूर्णकालिक एवं संविदा आधार पर राज्य सेवा सम्बंध कार्यरत लोगों पर यह प्रावधान लागू होगा अप्रार्थी को पुनर्नियुक्ति एवं राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 में वर्णित उक्त प्रावधान के अनुसार स्वयं को परिवार सहित मय सामान आवंटित आवास में रखने एवं उपयोग करने का विधिक अधिकार है। पुनर्नियुक्ति पर सरकार के अधीन स्वीकृत पद पर राज्य सेवा की अवधि एवं राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियम 29 (1) से 29 (4) तक वर्णित प्रावधान के अनुसार पुनर्नियुक्ति समाप्ति के 6 माह पश्चात तक विधिक हैसियत से काबिज है तथा इस अवधि का निर्धारित किराया राजकोष में जमा कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि अप्रार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, 42 वर्ष की राज्य सेवा अपने गृह स्थान भरतपुर से बाहर धौलपुर, जोधपुर एवं जयपुर पुलिस की व्यस्त सेवा में रहा है। सेवानिवृति वर्ष के दौरान पत्नी की असामयिक गंभीर बीमारी से इलाज के दौरान निधन होने के कारण परिवार में लडकी एवं लडकों की जिम्मेदारी अप्रार्थी पर है, ऐसी स्थिति में आंवटित आवास में रहना आवश्यक है। व्यवहारिक रूप से पुनर्नियुक्ति की अवधि के लिए जयपुर शहर में अन्यत्र किराये का मकान लिया जाना एवं बैंक, गैस, आधार कार्ड, प्रतियोंगी परीक्षा में आवास का पता अल्पावधि के लिए बदला जाना भी सुविधाजनक नहीं है। अतः परिवाद बाबत रिक्त कराया जाकर कब्जा सम्भलाने खारिज फरमाया जावे ।

JAIPUR

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक प0 20(1)सा.प्र.3/2/06 जयपुर दिनांक 28.08.2006 के अवलोकन से जाहिर होता है कि गांधीनगर, जयपुर स्थित आवास संख्या एफ–926 फ्लेट जिसे 4/145 भी कहा गया है और अप्रार्थी ने अपने कथन में इस आवास को सरकारी आवास होना स्वीकार किया है, राजकीय आवास है और आदेश दिनांक 28.08.2006 द्वारा राजकीय आवास आंवन्टन नियम, 1958 के अन्तर्गत किराये पर आंवन्टी श्री महेन्द्र कुमार कौशिक, कार्यालय अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को उनके सेवा–निवृति दिनांक 31.01.2017 तक के लिऐ किराये पर आंवटित किया गया था। निर्धारित अवधि सेवा–निवृति के 02 माह पश्चात् अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार कौशिक को आवास संख्या 4/145 (पुराना नम्बर एफ–926) रिक्त कर कब्जा सम्भलाये जाने हेतु प्रार्थी पक्ष द्वारा समुचित रूप से सूचित किया गया है, जिसका अप्रार्थी द्वारा वरवक्त बहस खण्डन नहीं किया गया है। बावजूद इसके अप्रार्थी श्री कौशिक ने राजकीय आवास संख्या 4/145 (पुराना नम्बर एफ–926) को रिक्त कर वापिस सम्भलाया नही है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जो प्रार्थी के कथन का खण्डन करते हो । अप्रार्थी द्वारा वरवक्त बहस यह कथन किया गया कि अप्रार्थी की सेवानिवृति दिनांक 31.01.2017 को हुई है परन्तु महानिदेशक पुलिस के आदेश क्रमांक–व–15 ( )पुलिस–ए/गजे/ 2017/748–53 दिनांक 01.02.2017 द्वारा एवं अति0 महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक स्था./सैटअप/12/2016/6328–55 दिनांक 03.05.18 द्वारा पुनर्नियुक्ति की गई है। नियमानुसार आवास के किराये की कटौती की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा सेवानिवृति पर कर्मचारियों को परिवार एवं सामान सहित सड़क अथवा रेल परिवहन द्वारा होम–टाउन जाने के लिए राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 में नियम 29 (1) (2–VIII) (4) में प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार कर्मचारी को सेवानिवृति तिथि से 12 माह की अवधि में परिवार सहित होम–टाउन की यात्रा एवं सामान परिवहन का भत्ता भुगतान दिया जावेगा। यह भी प्रावधान है कि सेवानिवृति तिथि के 6 माह में राज्य सरकार में पुनर्नियुक्ति होने पर पुनर्नियुक्ति तिथि समाप्त होने की तिथि के 6 माह के भीतर उक्त सुविधा का उपभोग करने पर यात्रा भत्ता दिया जावेगा। नियम 29 (4) अनुसार पूर्णकालिक एवं संविदा आधार पर राज्य सेवा सम्बंध कार्यरत लोगों पर यह प्रावधान लागू होगा अप्रार्थी को पुनर्नियुक्ति एवं राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 में वर्णित उक्त प्रावधान के अनुसार स्वयं को परिवार सहित मय सामान

आवंटित आवास में रखने एवं उपयोग करने का विधिक अधिकार है। पुनर्नियुक्ति पर सरकार के अधीन स्वीकृत पद पर राज्य सेवा की अवधि एवं राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियम 29 (1) से 29 (4) तक वर्णित प्रावधान के अनुसार पुनर्नियुक्ति समाप्ति के 6 माह पश्चात तक विधिक हैसियत से काबिज है तथा इस अवधि का निर्धारित किराया राजकोष में जमा कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी के कथन में हम कोई सार नहीं पाते है क्योंकि यात्रा भत्ता नियमों के प्रावधान केवल यात्रा भत्ता के पुनर्भरण हेतु है न कि आंवटित आवास पर आंवटी के सेवा–निवृति के पश्चात् भी केवल मात्र यात्रा भत्ता आदि का लाभ लेने मात्र के लिऐ राजकीय आवास पर अनाधिकृत रूप से काबिज रहने के लिऐ । पुनर्नियुक्ति केवल मात्र समेकित पारिश्रमिक पर की गई है जिसमें नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी को देय परिलाभ व सुविधाये दिये जाने का प्रावधान नही है, पुनर्नियुक्ति आदेश दिनांक 01.02.2017 व 03.05.2018 में भी राजकीय आवास की सुविधा दिये जाने का उल्लेख नहीं है। यहां तक कि पत्रावली पर अब ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि सकेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के आदेश दिनांक 03.05.2018 के पश्चात अप्रार्थी को पुनः पुनर्नियुक्ति दी गई हो। अलबत्ता नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी के सेवा–निवृति के 02 माह पश्चात आवास को रिक्त करना होगा। आवंटी 31.01.2017 को सेवा–निवृत हो चुका है और सेवा–निवृति की दिनांक पर कोई विवाद नही है। नियमानुसार आवंटी अप्रार्थी को सेवा–निवृति की दिनांक 31.01.2017 के 02 माह पश्चात आवंटित राजकीय आवास रिक्त कर सक्षम प्राधिकारी को संभला दिया जाना चाहिए था किन्तु 02 माह की अवधि गुजरने एवं इसके संबंध में सूचित किये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास को रिक्त कर कब्जा नहीं संभलाया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध है कि आवास संख्या 4/145 (पुराना नम्बर एफ–926), गांधीनगर, जयपुर राजकीय सम्पति है और अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार कौशिक, राजकीय सेवा–निवृति के दो माह के पश्चात्, आवास पर कब्जा बनाये रखने की अथवा आवास का उपभोग किये जाने की पात्रता खो दिये जाने के पश्चात भी आवास को रिक्त कर कब्जा सम्भलाया नही गया है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास संख्या 4/145 (पुराना नम्बर एफ–926), गांधीनगर, जयपुर पर अप्राधिकृत रूप से अधिवास किया जा रहा है, प्रार्थी, राज. सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवास संख्या 4/145 (पुराना नम्बर एफ–926), गांधीनगर, जयपुर को रिक्त कराये जाने हेतु पात्र है।

आदेश (फॉर्म–बी)

इस प्रकार मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता ऊपर अंकित किये गये कारणों से संतुष्ट हूं, कि श्री महेन्द्र कुमार कौशिक राजकीय आवास संख्या 4/145 (पुराना नम्बर एफ–926), गांधीनगर, जयपुर (जिसको नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है) पर अनाधिकृत रूप से काबिज है।

अब, इसलिए राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इसके द्वारा आदेशित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार कौशिक और जिस किसी के अनाधिकृत रुप से यह राजकीय आवास अथवा इसका कोई भाग कब्जे में है, इस निर्णय के प्रकाशन की 30 दिवस की अवधि में खाली कर दें। इस आदेश की ऊपर अंकित की गई अवधि में अनुपालना करने से इंकार करने अथवा विफलता की स्थिति में श्री महेन्द्र कुमार कौशिक और जिस किसी के अनाधिकृत रुप से यह राजकीय आवास अथवा इसका कोई भाग कब्जे में है, से बेदखल किये जाने हेतु उत्तरदायी हैं। अतः अनाधिकृत रूप से काबिज को निर्देश दिये जाते है कि वे गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय आवास 4/145 (पुराना नम्बर एफ–926) को 30 दिवस में रिक्त कर प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर को कब्जा सम्भला दे। प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर को आदेश दिये जाते है कि आदेश की एक प्रति आवास सख्या–4/145 (पुराना नम्बर एफ–926), गांधीनगर, जयपुर के बाहर दरवाजे पर चस्पानगी करें साथ ही उपरोक्त निर्धारित अवधि उपरान्त उक्त आवास के कब्जे के लिये जाने हेतु धारा 5(2) के तहत अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर को अधिकृत किया जाता है।

अनुसूची

"राजकीय आवास संख्या–4/145 (पुराना नम्बर एफ–926), गांधीनगर, जयपुर "।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

ESTATE OFFICER
(Addl. District Magistrate Jud.)
JAIPUR